संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण
(प्रशिक्षण पक्ष)
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–4, प्रथम तल,
नया रायपुर छत्तीसगढ़
// आदेश //

रायपुर दिनांक 8 / 5 / 2017

क्रमांक / एफ 1–406 / संरोप्र / स्थाप–प्र / भर्ती सहा.ग्रेड–3 / 2017 / 2207 / सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण पक्ष हेतु समान वेतनमान एवं समान योग्यता वाले पदों के लिए व्यापम के माध्यम से संयुक्त चयन परीक्षा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के (प्रशिक्षण पक्ष) अधीन कार्यालय / शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में **सहायक ग्रेड–3** के पद पर छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी सेवा में वेतनमान् रूपये 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 एवं राज्य शासन द्वारा देय अन्य भत्ते पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को दो वर्ष की परिवीक्षा पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय / औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है।

नियम एवं शर्तें

1. परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवा किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह की नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में आप (कर्मचारी) बिना किसी पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो माना जाएगा की आपके अनुपस्थिति के दिनांक से ही सेवा छोड़ दी है तथा एक माह या नोटिस की अवधि से जितना कम हो उस अवधि का वेतन तथा भत्ते भू–राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी।
2. कार्यग्रहण करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण–पत्र, छ0ग0 मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का वैध प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
3. कार्यग्रहण करते समय पहचान हेतु स्वयं का फोटो, नाम एवं पता सहित राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रस्तुत करनी होगी।
4. कार्यग्रहण करने के पश्चात् एक माह के भीतर मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5. कार्यग्रहण करते समय चरित्र सत्यापन तथा इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि चरित्र सत्यापन में सेवा के अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
6. यह नियुक्ति अनंतिम है तथा सभी प्रमाण–पत्र उचित माध्यमों से सत्यापित किये जाने के अध्याधीन है। सत्यापन करने पर यदि पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र असत्य एवं झूठा पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये असत्य / झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई, जो की जा सकती है, संबंधी कार्रवाई के अतिरिक्त आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी।
7. संबंधित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदत्त मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित की जावेगी।

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	चयन का वर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना कार्यालय / औ.प्र.संस्था
1	2	3	4	5
1	श्री लच्छुराम यादव पिता श्री द्वारिका प्रसाद यादव, ग्राम एव पोष्ट–पोड़, तहसील अभनपुर, जिला–रायपुर छ0ग0, पिन 493661	अन्य पिछड़ा वर्ग	अ.पि.वर्ग अनारक्षित	महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नारायणपुर
2	श्री गिरवर सिंह मेरावी पिता श्री अवधराम मेरावी, पता–ग्राम तारो, पोष्ट खैरबनाकला, तहसील बोड़ला जिला–कबीरधाम छ0ग0 पिन–491995	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जनजाति	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, दंतेवाड़ा, जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	वर्ग	चयन का वर्ग	प्रस्तावित पदस्थापना कार्यालय / औ.प्र.संस्था
1	2	3	4	5
3	श्री प्रफूल्ल शर्मा पिता श्री कमलेश कुमार शर्मा, पता –क्व.नं0–4 / 5, हुडको कलोनी, पुलिस लाईन बैरन बाजार रायपुर छ.ग. पिन – 495557	अनारक्षित	अनारक्षित	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माकड़ी जिला–कोण्डागांव
4	श्री लोकेश्वर प्रसाद देवांगन पिता श्री भुनेश्वर प्रसाद देवांगन, पता– कृष्णा विहार कालोनी, वार्ड नं0–08,कवर्धा, जिला–कबीरधाम,छ.ग.	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा जिला–कबीरधाम
5	श्री प्रमोद कुमार देवांगन पिता श्री शिव कुमार देवांगन, पता–थाना चौक चांपा जिला–जांजगीर चाम्पा छ.ग. पिन–495671	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जांजगीर जिला–जांजगीर चांपा
6	श्री रोहित कुमार पटेल पिता श्री जलिन्धर पटेल पता–54 / 1414 तरूण नगर, डगनिया, रायपुर, छ.ग.पिन 492013	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मैनपाट, जिला–सरगुजा
7	श्री राजीव जगत पिता श्री त्रिनाथ जगत, पता–जय बुड़ी मॉ मंदिर के सामने, डॉ0 राजेन्द्र नगर रायपुर छ.ग. पिन 492001	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भानपुरी, जिला–बस्तर
8	श्री सूरज कुमार पिता श्री लालजी ब्राम्हें, पता– आदर्श नगर, गॉधी ग्राम(नक्टा) पोष्ट मंदिर हसौद जिला–रायपुर छ.ग.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जगदलपुर, जिला–बस्तर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्तियों में शासन के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य सभी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

(एस.एस.बजाज)
आयुक्त
रोजगार एवं प्रशिक्षण

पृ.क्रमांक / एफ 1–406 / संरोप्र / स्थाप– / भर्ती सहा.ग्रेड–3 / 2017 / 2208 / रायपुर दिनांक 4/5/2017
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएँ, रायपुर / बिलासपुर / अम्बिकापुर / जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।सहायक ग्रेड–3 के कार्यग्रहण की सूचना एवं अन्य जानकारी एकजाई कर संचालनालय को प्रेषित करें।
4. प्राचार्य / अधीक्षक, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, महिला नारायणपुर जिला–नारायण्पुर, दंतेवाड़ा जिला– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, माकड़ी जिला–कोण्डागांव, कवर्धा जिला–कबीरधाम, जांजगीर जिला–जांजगीर चांपा, मैनपाट जिला–सरगुजा, भानपुर एवं जगदलपुर जिला–बस्तर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। निर्देशित किया जाता है कि सहायक ग्रेड–3 द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों की सत्यता जारीकर्ता संस्था / मंडल / विश्वविद्यालय / कार्यालय को भेजकर सत्यापित करावें; सत्यापन पश्चात् वस्तुस्थिति से संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय को एवं संबंधित कर्मचारियों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना भी क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल प्रेषित करें।

5. संबंधित अभ्यर्थी की ओर प्रेषित कर निर्देशित है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपने पदस्थापना संस्था में पदभार ग्रहण करें। यदि आप निर्धारित समयावधि में पदभार ग्रहण नहीं करते है तो यह नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला–नारायणपुर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, कबीरधाम, जांजगीर चांपा, सरगुजा, –बस्तर की ओर सूचनार्थ।
7. स्थापना / बजट अनुभाग, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
रोजगार एवं प्रशिक्षण